



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35074

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 670/2026

रामपाल गर्ग

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : राज किशोर पांडे, सत्य प्रकाश पांडे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : अचल सिंह, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश पांडे, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव, और प्रतिवादी संख्या 3-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री अचल सिंह की दलीलें सुनी गईं।

2. यह याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

" (i) अभिलेखों को तलब करने और परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने हेतु, जिसमें माननीय राजस्व बोर्ड को यह आदेश दिया जाए कि वह संदर्भ संख्या 287/1974-75 (भागीरथ बनाम गाँव सभा) में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



30.10.2025 को दायर स्थगन आवेदन पर विचार करे और निर्धारित समय-सीमा के भीतर यथाशीघ्र आदेश पारित करे।

(ii) 'परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने हेतु, जिसके द्वारा प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने से, तथा विवादित भूमि (जो मौजा गुढ़ाकला, तहसील नरैनी, जिला बांदा में स्थित प्लॉट संख्या 310 है) का हस्तांतरण करने या उसकी प्रकृति में परिवर्तन करने से रोका जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपर्युक्त कार्यवाही वर्ष 1976 से प्रतिवादी संख्या 2-राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि इस मामले में अंतरिम संरक्षण की आवश्यकता है; तदनुसार, दिनांक 30.10.2025 को राजस्व बोर्ड के समक्ष अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। उन्होंने निवेदन किया कि अंतरिम राहत के आवेदन के शीघ्र निपटारे के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं, और जब तक राजस्व बोर्ड के समक्ष कार्यवाही लंबित है, तब तक याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसमें प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को बेदखल करने, तथा विवादित भूखंड को किसी अन्य को हस्तांतरित करने या उसकी प्रकृति बदलने से रोका जाए।

4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

5. इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि राजस्व बोर्ड के समक्ष संदर्भ की कार्यवाही वर्ष 1976 से लंबित है।

6. चूंकि यह मामला पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से राजस्व बोर्ड, उ.प्र. प्रयागराज के समक्ष लंबित है, अतः इसका निपटारा अत्यंत शीघ्रता से किया जाना चाहिए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, तथा मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान याचिका का अंतिम रूप से **निपटारा किया जाता है**। इसके साथ ही, प्रतिवादी संख्या 2 - राजस्व बोर्ड, उ.प्र. प्रयागराज को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त **संदर्भ संख्या 287 (वर्ष 1974-75)** का निर्णय विधि के अनुसार शीघ्रता से करे; और अधिमानतः, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से **चार सप्ताह** की अवधि के भीतर, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, इसका निपटारा करे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त मामले का निर्णय करने से पूर्व, इस कार्यवाही में लंबित समस्त आवेदनों का निर्णय राजस्व बोर्ड द्वारा विधि के अनुसार किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

17 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”